

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3- 07/2015/1/3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.

विषय:-कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ:-सा.प्र.वि. का परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2013/1/3, दिनांक 01.07.2013.

--0--

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सी 3-8/2013/1/3, दिनांक 01.07.2013 द्वारा सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर तथा इनके समकक्ष पदों पर सीधी भरती हेतु निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है :-

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय 'कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट' (COPA) प्रमाण पत्र।

2/ उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-


1. बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई. इत्यादि
2. ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नलाजी इत्यादि

30.11.15

3/ बी.एस.सी./बी.कॉम./डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।

4/ सभी विभाग/कार्यालय अपने भरती नियमों में भी उपरोक्त आधार पर समावेश करने की कार्यवाही करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(के.के.कातिया)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन


सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक सी 3- 07/2015/1/3

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
 3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
 5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
 7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 9. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
 10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
 11. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
 13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
 14. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 17. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल।
 18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आई.टी. भोपाल।
 19. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाईन, होशंगाबाद रोड़, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग